मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

(म.प्र. शासन, वन विभाग)

ऊर्जा भवन, लिंक रोड क्रमांक 2 , शिवाजी नगर, भोपाल

दूरभाष 0755–2768798 एवं 2768805, ई–मेल–mpecotourism@gmail.com

क्रमांक/प्रोजेक्ट–1/ फा.नं 365/2021/1598 भोपाल, दिनांक : 23/08/21

प्रति,

1. समस्त क्षेत्र संचालक,
   टाइगर रिजर्व, (म.प्र.)
2. समस्त संचालक,
   राष्ट्रीय उद्यान, (म.प्र.)
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल एवं
   पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, (म.प्र.)

विषय: समस्त ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों पर नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल संचालित करने बाबत।

दिनांक 19/08/2021 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में दिए गए निर्देशानुसार समस्त ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों पर पर्यटकों को वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण के प्रति जागरूक किये जाने एवं प्रकृति के बारे में जिज्ञासा विकसित किये जाने के उद्देश्य से "नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल" का निर्माण एवं संचालन किया जाना है।

अतः संलग्न दिशानिर्देश एवं मॉडल नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल के आधार पर उपयुक्त स्थलों पर नेचर ट्रेल स्थापित किया जावे। नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल 02–03 कि.मी. का होना चाहिए। स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भ्रमण पथ की लम्बाई कम या अधिक की जा सकती है। संलग्न मॉडल नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल में उक्त 20 प्रादर्शों के अतिरिक्त यदि स्थानीय रूप से कुछ और विशेषताएं पाई जाती हों, तो उन्हें भी सम्मिलित किया जा सकता है। इन प्रादर्शों का क्रम स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदला भी जा सकता है।

चिन्हित की गयी नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल की साफ–सफाई एवं प्रकृति के अनुकूल मरम्मत करवा कर, दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से नेचर इंटरप्रिटेशन ट्रेल गतिविधि का संचालन प्रारम्भ कर बोर्ड कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। यदि इस हेतु राशि की आवश्यक्ता है, तो तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 505 दिनांक 06.03.2021 अनुसार प्रेषित करें, ताकि स्वीकृति जारी की जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

23/8/21

(सत्यानंद) भा.व.से.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड
एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी संरक्षण)

क्रमांक/प्रोजेक्ट–1/ फा.नं 365/2021/1599

भोपाल, दिनांक : 23/08/21

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त एवं पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड
एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी संरक्षण)

पर्यटकों के लिए प्रकृति की व्याख्या (Nature Interpretation) हेतु प्रकृति व्याख्या पथ (Nature Interpretation Trail) स्थापित किए जाने बावत् दिशानिर्देश।

1. प्रकृति की व्याख्या का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों में प्रकृति को समझने की इच्छा जागृत किया जाना है। प्रकृति की व्याख्या के तीन प्रमुख अंग है:–
   1.1. प्राकृतिक स्थलों पर वास्तविक वस्तु, जीव या पौधों एवं वहाँ उपलब्ध सांस्कृतिक विरासतों को देखा जाना और अनुभव किया जाना।
   1.2. प्राकृतिक स्थलों पर भ्रमण कर प्राकृतिक वस्तुओं जीवों और पौधों के बीच परस्पर क्रियाओं को समझाना।
   1.3. प्रकृति एवं सांस्कृतिक विरासत (यदि उपलब्ध हो तब) के संबंध में व्याख्यात्मक दृश्य/श्रव्य साधन (Audio- Visual illustrative media) आदि का उपयोग करते हुए रोचक जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराना।
2. उपरोक्त तरीकों का उपयोग करते हुए प्रकृति की व्याख्या की व्यवस्था प्रत्येक ईकोपर्यटन स्थल पर की जानी चाहिए। पर्यटकों के लिए प्रकृति की समुचित व्याख्या से निम्न लाभ संभव हैं :–
   2.1. पर्यटकों में प्रकृति और उसके प्रतिक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित होती है।
   2.2. पर्यटक का भ्रमण, अधिक मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होता है।
   2.3. इससें आम जनता में एवं स्थानीय समुदाय में वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित होती है।
   2.4. वन क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक विरासतों (पुराने किले, जल संरक्षण संरचनाएँ, बावडियॉ, शैल चित्र आदि) के महत्व, इतिहास एवं उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित होती है।
   2.5. पर्यटकों में प्रकृति एवं सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उत्तरदायी व्यवहार (Responsible behaviour) विकसित होता है।
   2.6. विवादास्पद मुद्दों के प्रति व्यापक समझ विकसित होती है, जिससे प्रबंधन के प्रति गलतफहमी दूर होती है।
   2.7. पर्यटकों के साथ–साथ स्थानीय समुदाय में भी प्रकृति की बेहतर समझ विकसित होती है जिससे वनों एवं वन्यप्राणी संरक्षण में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है।

अतः यह अति आवश्यक है कि प्रत्येक ईकोपर्यटन स्थलों के समीप उपलब्ध वन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए प्रकृति व्याख्या हेतु **Nature Interpretation Trail** (प्रकृति व्याख्या पथ) का निर्धारण एवं संचालन किया जावे।

3. प्रकृति व्याख्या पथ के विकास एवं संचालन में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावेः–

3.1. प्रदेश में विकसित किए जा रहे प्रकृति व्याख्या पथ का स्वरूप **नम्बर और ब्रोशर ट्रेल (Number & Broacher Trail)** का होगा। प्रत्येक प्राकृतिक घटक जिसकी व्याख्या की जानी है, के पास पत्थर के साइनेज पर क्रमवार संख्या अंकित की जाए। इन प्रत्येक घटक की क्रम संख्या के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रकृति व्याख्या पथ हेतु तैयार किए गए ब्रोशर में उपलब्ध कराई जाए।

प्रकृति व्याख्या पथ हेतु लगभग 25 ब्रोशर laminated कराकर भी प्रकृति व्याख्या सूचना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर रखा जावे ताकि पर्यटकों को भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जा सके एवं भ्रमण के बाद वापस लिया जा सके। पर्यटकों को laminated ब्रोशर भ्रमण पर जाते समय निशुल्क दिया जाएगा।

यदि कोई पर्यटक ब्रोशर क्रय करना चाहते हैं तो उन्हें उपयुक्त स्थल पर प्रकृति व्याख्या पथ का सामान्य ब्रोशर (laminated नहीं) विक्रय हेतु उपलब्ध कराया जावे। **ब्रोशर विक्रय से प्राप्त राशि म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के खाते में जमा कराई जावेगी।**

3.2. ईकोपर्यटन स्थल पर प्रवेश हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त प्रकृति व्याख्या पथ पर प्रवेश हेतु शुल्क न लिया जावे।

3.3. प्रकृति व्याख्या पथ पर यथा संभव उपरोक्त विभिन्न घटकों के संबंध में जिज्ञासा विकसित किए जाने हेतु उपयुक्त स्थल पर संकेतक (साइनेज) स्थापित किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। साइनेज पर उल्लेखित शब्दों/वाक्यों का चयन इस प्रकार किया जावे कि इनसे पर्यटकों की जिज्ञासा विकसित हो सके।

3.4. नेचर ट्रल के विभिन्न घटकों के विषय में संक्षिप्त जानकारी तीन प्रकार से पर्यटकों को उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा सकती हैः–

- नेचर ट्रेल हेतु विकसित विशिष्ठ ब्रोशर के माध्यम से
- नेचर ट्रेल पर बनाये गये साइनेज के माध्यम से

- Audio file जो QR Code से मोबाइल पर प्राप्त की जा सकती है

नेचर ट्रेल के प्रारंभ में उपयुक्त साइनेज पर क्यू.आर.कोड (QR Code) दर्शाया जाये जिसे पर्यटक मोबाइल से स्केन कर सकें। उक्त QR Code के माध्यम से पर्यटकों के मोबाइल पर स्थल के विषय में एवं प्रकृति व्याख्या पथ के संबंध में जानकारी लिखित एवं श्रव्य (text and audio) दोनों रूप में ऑन लाइन उपलब्ध कराई जाये। यह जानकारी म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के वैब पोंटल पर संधारित की जाएगी।

उदाहरण के लिए पत्थर के संकेतक (signage) निम्नानुसार हो सकते है :–

आजकल शहरों में लाल पत्थर के उपर खुदाई (Engraving) के लिए Computerised मशीने उपलब्ध है, इनका उपयोग किया जाना बेहतर होगा। ध्यान रहे कि प्रकृति व्याख्या पथ पर केवल छोटे संकेतक (Signage) (1 ft. X 1 ft.) ही लगाये जाए और उन पर क्रमवार संख्या (serial number) अंकित किया जावे।

व्याख्या हेतु चयनित प्रकृति के घटकों के संबंध में ब्रोशर में उनकी क्रम संख्या के विरूद्ध संक्षिप्त जानकारी प्रकृति व्याख्या पथ हेतु निर्मित ब्रोशर में उपलब्ध कराई जाए।

प्रकृति व्याख्या पथ को और अधिक रोचक बनाने हेतु मार्ग पर रखे साइनेजेस के माध्यम से प्रकृति से संबंधित प्रश्न, पहेलियॉं, रोचक जानकारी प्रकृति व्याख्या पथ पर दिया जाना चाहिए। साइनेज के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसका जवाब प्रकृति व्याख्या पथ के आगामी बिन्दुओं पर साइनेज के माध्यम से ही दिया जा सकता है। उदाहण के लिये एक किसी पेड़ की उचाई, आयु, उपयोगिता आदि प्रश्न साइनेज पर पूछे जा सकते हैं।

4. उपरोक्तानुसार प्रत्येक घटक के संबंध में जानकारी पर्यटकों को audio files के रूप में भी उनके मोबाइल पर QR Code के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी। यह audio file तथा उपरोक्त प्रकृति व्याख्या पथ से संबंधित जानकारी म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की वैबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। पर्यटकों द्वारा QR Code के माध्यम से प्रत्येक प्रकृति व्याख्या पथ हेतु text file एवं audio file प्राप्त की जा सकेगी।

   प्रकृति व्याख्या पथ के संबंध में विकसित किया गया ब्रोशर यथा संभव एक कहानी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

   यदि ईकोपर्यटन स्थल पर कोई प्रकृति व्याख्या केन्द्र/हॉल उपलब्ध हो तो वहॉं पर प्रकृति व्याख्या पथ के संबंध में एक audio visual film भी तैयार कर पर्यटकों को दिखाए जाने की व्यवस्था किया जाना उचित होगा।

5. प्रकृति व्याख्या पथ के प्रवेश स्थल पर प्रवेश एवं सूचना केन्द्र का निर्माण, प्राकृतिक सामग्री का ही उपयोग करते हुए एवं पारंपरिक भवन निर्माण कला का उपयोग कर, स्थानीय कारीगरों से तैयार किया जाना चाहिए।

6. ईकोपर्यटन स्थल पर यदि रात्रि विश्राम की सुविधा है तब स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासतों जैसे नाटक, लोक कथा, लोक नृत्य, कठपुतली का नाच, आदि के माध्यम से प्रदर्शन की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो सकेगा।

7. वन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन हेतु अति आवश्यक होने पर ही भवन जैसे कैफेटेरिया, स्वागत कक्ष, प्रसाधन आदि का निर्माण, यथा संभव प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके पारंपरिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे एवं ईकोपर्यटन गतिविधियों एवं वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रति उनका जुड़ाव बढ़ेगा। प्राकृतिक सामग्री जैसे बांस, काष्ठ आदि के परिष्कृत (Treated & Processed) भवन निर्माण सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है।

   जहॉं तक संभव हो सीमेंट कंक्रीट का उपयोग पुल–पुलिया एवं भवन निर्माण हेतु भी न किया जावे।

8. क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रकृति व्याख्या पथ, सभी आयुवर्ग के पर्यटकों के लिए सुगम हो। अर्थात बहुत ज्यादा उतार–चढाव अथवा ऊबड़ –खाबड़ न हो। रास्ते को समतल करने एवं सभी मौसम में भ्रमण योग्य बनाने हेतु आवश्यक

प्राकृतिक उपाय जैसे कि प्रकृति पथ पर मुरम डालकर सामान्य तल से 6 इंच उपर बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जावे कि बरसात में उक्त प्रकृति व्याख्या पथ पर जल भराव/बहाव न हो।

9. रास्ते में यदि कोई नाला हो तो उसके ऊपर स्थानीय सामग्री बांस–बल्ली, पत्थर आदि का उपयोग करते हुए केवल पैदल जाने हेतु पुलिया का निर्माण स्थानीय कारीगरों के माध्यम से किया जावे।

10. प्रकृति व्याख्या पथ इस प्रकार चिन्हित किया जाना चाहिए कि उक्त स्थल पर उपलब्ध अधिकतम प्राकृतिक विविधता का समावेश हो सके। अर्थातः –

10.1 विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र (Ecosystem) जैसे घास का मैदान (Grass land), नम भूमि पारिस्थितिकीय तंत्र (Wet land Ecosystem), वृक्ष पारिस्थितिकीय तंत्र (Tree Ecosystem), वन पारिस्थितिकीय तंत्र (Forest Ecosystem) आदि।

10.2 विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों उनके फल, फूल, लताएं आदि ।

10.3 जीव जंतुओं के होने के प्रमाण स्वरूप चिन्ह जैसे कि उनके गोबर (Fecal matter) Antlers कंकाल, सेही के कांटे चिडियों के घौसले, उनके द्वारा बनाये गये पेड़ो अथवा मिट्टी पर निशान (चिन्ह) आदि।

10.4 वन क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की चट्टाने – रूपांतरित (Metamorphic) आग्नेय (Igneous), स्तरीभूत या अवसादी (Sedimentary)

10.5 प्राकृतिक जल स्त्रोत – तालाब, नदी, झील, झरने आदि।

10.6 प्राकृतिक दलदल, वन्यप्राणी लोटन स्थल (Wallows), लवण चाटन स्थल (Salt Licks)

10.7 मृत एवं सूखे वृक्ष।

10.8 घना वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, कम घना क्षेत्र, खुला क्षेत्र।

10.9 अच्छी गहरी मिट्टी का क्षेत्र, चट्टानी क्षेत्र, नदी किनारे का रेतीला स्थल, मूरम वाले क्षेत्र, चट्टानों की दरारें (crevices) नदीयों के बीच के Sandbar, उनमें चिडियों के घोसले।

10.10 ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर जैसे पुराना किला, बावडियॉ अथवा अन्य ऐतिहासिक स्थल।

11. यह संभव है कि प्रत्येक ईकोपर्यटन स्थल पर वन्यप्राणी के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चिन्ह हर समय उपलब्ध न हो। जैसे किसी वृक्ष विशेष के संबंध में जानकारी दिए जाने के लिए

उनके फूल एवं फल हर समय वन क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होंगे। उसी प्रकार कुछ जानवरों द्वारा वृक्ष पर, मिट्टी पर अथवा अन्य विशेष प्रकार के निशान बनाए जाते हैं जिससे उनके इस क्षेत्र में उपलब्ध होने की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे सभी वस्तुओं/विषयों आदि के संबंध में जानकारी दिए जाने हेतु Photographs/ Model/ Plaster cast आदि के रूप में उपयुक्त स्थल पर रखे जाने चाहिए।

12. कुछ वन्यप्राणियों की मल (Faecal matter), लेंडी (Droppings) या बाल, जैसे सेही का कांटा, हिरणों के Antlers आदि का प्रकृति व्याख्या पथ पर अथवा उपयुक्त enclosure में पर्यटकों के अनुभव एवं व्याख्या हेतु रखा जा सकता है।
13. कुछ चिन्हों/घटकों हेतु अच्छी गुणवत्ता के फोटो, उपयुक्त विवरण के साथ उपयुक्त स्थल पर लगाए जा सकते हैं।

कृपया आपके क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक ईकोपर्यटन स्थल पर उपरोक्तानुसार प्रकृति व्याख्या पथ (Nature Interpretation Trail) के निर्धारण एवं 01 अक्टूबर से संचालन हेतु आवश्यक कार्यों के प्रस्ताव **तकनीकी स्वीकृति के साथ एक सप्ताह में** प्रेषित करें।

प्रस्ताव भेजे जाने के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा जारी निर्देश क्र. 505 दि. 6.03.021 एवं पूर्व में बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का अध्ययन कर लें एवं तदनुसार प्रस्ताव प्रेषित करें।

23/08/21

(सत्यानंद)भा.व.से
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म0प्र0 ईकोपर्यटन विकास बोर्ड
एवं पदेन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी संरक्षण)

प्रारूप - प्रकृति व्याख्या पथ

Model - Nature Interpretation Trail

लम्बाई – 2 - 3 कि. मी
समय – 1 - 2 घण्टा

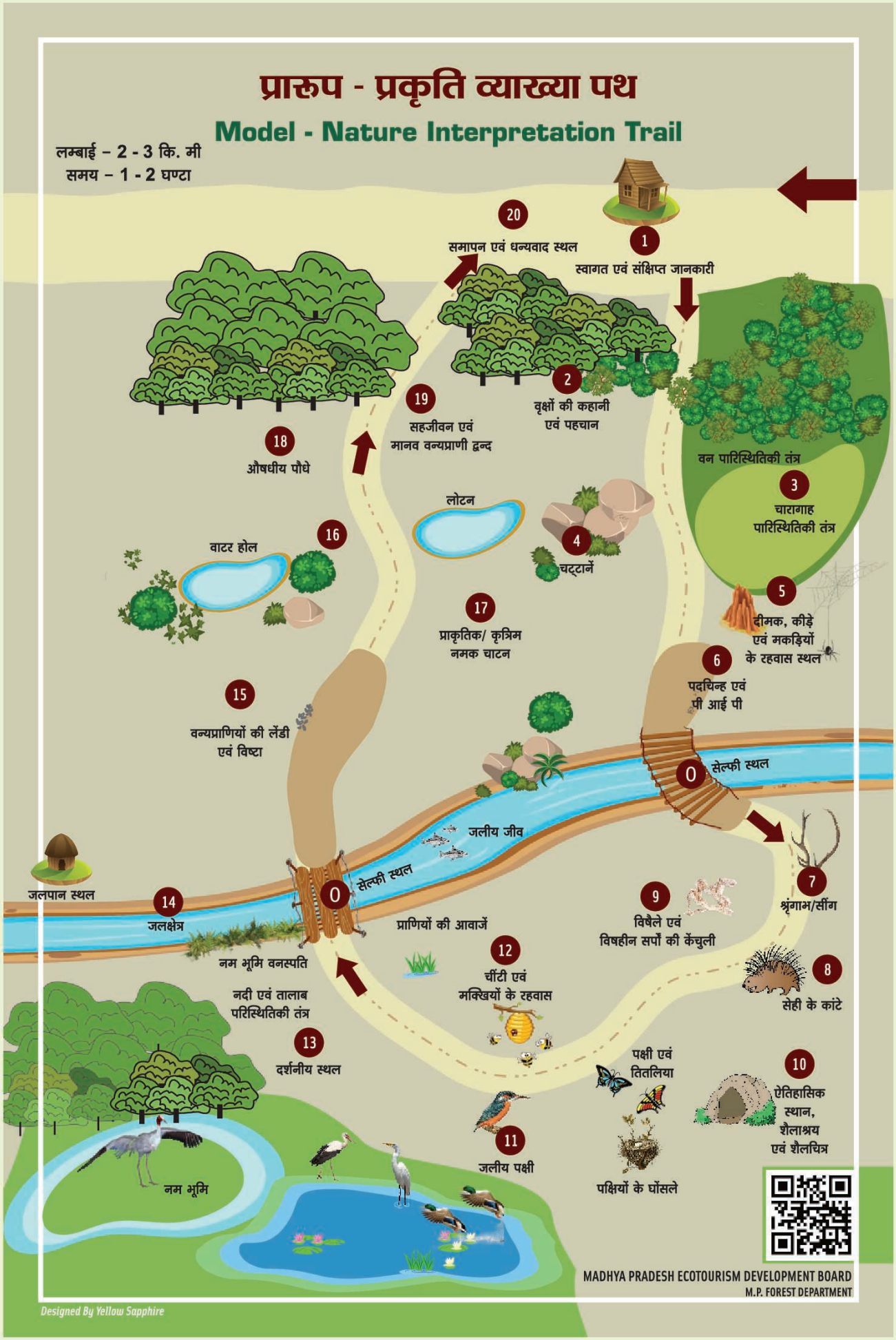

MADHYA PRADESH ECOTOURISM DEVELOPMENT BOARD
M.P. FOREST DEPARTMENT

Designed By Yellow Sapphire